

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



Ref.N0.सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./2429/2007

दिनांक : 24/10/07

प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति,
डा0 राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय,
अल्लीपुर, हरदोई ।

विषय:- स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 19.10.2007 तथा चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासनादेश संख्या-2509/ सत्तर-1/2005-10(15)/79 दिनांक 13.12.2006 के प्राविधानानुसार माननीय कुलपति जी ने निम्नलिखित प्रवक्ताओं के नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम में चयन का अनुमोदन निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करने की कृपा की है ।

क्रम	नाम	विषय	नियमित/संविदा
1.	डा0 गजेन्द्र नाथ सिन्हा	बी0एड0 विभागाध्यक्ष	अनुमोदन
2.	श्री चन्द्र शेखर	प्रवक्ता बी0एड0 (कार्मस)	अनुमोदन
3.	डा0 रामयश	प्रवक्ता बी0एड0 (हिन्दी)	अनुमोदन
4.	श्री दिलीप चन्द्र	प्रवक्ता बी0एड0 (सोशल साइंस)	संविदा पर दिनांक 30.6.2009 तक अनुमोदन.

गजेन्द्रनाथ सिन्हा का चौधरी जमादार सिंह महाविद्यालय, लालकपुर, कन्नौज एवं श्री चन्द्रशेखर का देवांशु सनाज कल्याण महाविद्यालय, सौरिख कन्नौज तथा श्री दिलीप चन्द्र का डा0 गोविन्द प्रसाद रानीदेवी पटेल डिग्री कलेज, अरील कानपुर से अनुमोदन निरस्त किया जाता है ।

1. नियमितरूप से नियुक्त प्रवक्ताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान (प्रवक्ता वेतनमान) रु.8000-275-13500/- एवं अन्य सुविधायें देय होंगी ।
2. क्रम संख्या-4 जो प्रवक्ता पद की अर्हता पूर्ण न होने कारण अर्हता में शिथिलता देते हुए अनुमोदन किया गया है उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान रु.8000-275-13500/- एवं सुविधायें देय होंगी, पर दिनांक 30 जून 2009 तक संविदा पर नियुक्त किया जायेगा तथा इन्हें दिनांक 30 जून 2009 तक अपनी अर्हता अवश्य पूर्ण कर लेनी होगी । यदि उक्त तिथि तक अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं तो उनका यह प्रदत्त अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
3. पेंशन, उपदान, भविष्यनिधि आदि से सम्बन्धित सांविधिक दायित्वों का निर्याह, संस्था के प्रबन्धतंत्र द्वारा किया जायेगा ।
यदि सम्बन्धित अधिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि पायी गयी तो इसके जिम्मेदार प्रबन्धक और सम्बन्धित प्रवक्तागण होंगे ।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बी0एड0 प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रतियां, वेतन, अनुबन्ध पत्र एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्याणपुर, कानपुर-२४
KALYANPUR, KANPUR-24

संदर्भ सं: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब0/646/2013

दिनांक: 22/2/2013

सेवा में

प्रबन्धक/सचिव (प्रबन्ध समिति),
डा0 राम मनोहर लोहिया डिग्री कालेज,
अल्लीपुर, हरदोई ।

स्पीड-पोस्ट

विषय:- स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर पर प्रवक्ताओं के अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 27.12.2012 तथा चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम में शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 एवं शासनादेश संख्या-4503/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 31 अगस्त, 2000 के प्राविधानानुसार माननीय कुलपति जी ने निम्नलिखित चयन का अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	विषय	
1.	श्री सतीश बाबू	श्री सत्य देव सिंह	प्रवक्ता-शिक्षाशास्त्र	अनुमोदन
2.	प्रतिमा अस्थाना	श्री रमेश चन्द्र अस्थाना	प्रवक्ता-बी0एड0	अनुमोदन
3.	रश्मि द्विवेदी	श्री डा0 एस0एन0 द्विवेदी	प्रवक्ता-बी0एड0	अनुमोदन
4.	श्री मनीष कुमार मिश्रा	श्री विनोद प्रसाद मिश्रा	प्रवक्ता-बी0एड0	अनुमोदन
5.	शालिनी शुक्ला	श्री गोविन्द शरण शुक्ला	प्रवक्ता-बी0एड0	अनुमोदन
6.	श्री विवेक बाजपेई	श्री देवेन्द्र कुमार बाजपेई	प्रवक्ता-बी0एड0	अनुमोदन

डा0 देवेश कुमार सिंह तथा श्री अनिल कुमार दीक्षित द्वारा दो उपाधि/परीक्षाएँ एक ही सत्र में उत्तीर्ण की गयी है, जिसके कारण इनके चयन का अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा सकता है ।

यदि सम्बन्धित अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि पायी गयी तो इसके जिम्मेदार प्रबन्धक और सम्बन्धित प्रवक्तागण होंगे ।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रतियां, कार्यभार ग्रहण आख्या, अनुबन्ध पत्र, वेतन सम्बन्धी अभिलेख अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(पी0एन0 प्रसाद)
उप कुलसचिव (सम्ब.)
कृते कुलसचिव

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



Ref.NO.सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./1246/2007

दिनांक : 20/6/07

प्रापक,

प्रबन्धक,
डा0 राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय,
अल्लीपुर,
हरदोई ।

विषय:- स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 21.6.2007 तथा चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासनादेश संख्या-2509/सत्तर-1/2005-10(15)/79 दिनांक 13.12.2006 के प्राविधानानुसार माननीय कुलपति जी ने निम्नलिखित प्रवक्ता के नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम में चयन का अस्थायी अनुमोदन निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करने की कृपा की है ।

क्रम	नाम	विषय	नियमित/संविदा
1.	डा0 अर्चना गुप्ता	प्रवक्ता बी0एड0	नियमित
2.	डा0 शिवाकान्त तिवारी	प्रवक्ता बी0एड0	नियमित

डा0 रामयश का अनुमोदन भालचन्द्र इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन एण्ड मैनेजमेंट लखनऊ में तथा डा0 चन्द्रशेखर का अनुमोदन देवांशु समाज डिग्री कालेज, सौरिख कन्नौज में है एवं डा0कृष्ण कुमार रिछारिया का अनुमोदन सीतापुर शिक्षा संस्थान सीतापुर में है । इसलिए इन तीनों के चयन का अनुमोदन प्रदान करना सम्भव नहीं है ।

1. अर्हताधारी विभागाध्यक्ष तथा प्रवक्ताओं को पूर्णकालिक एवं नियमित रूप से नियुक्त किया जायेगा ।
 2. नियमितरूप से नियुक्त प्रवक्ताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान (प्रवक्ता वेतनमान) रु.8000-275-13500/-एवं अन्य सुविधायें देय होंगी ।
 3. पेंशन, उपदान, भविष्यनिधि आदि से सम्बन्धित सांविधिक दायित्वों का निर्वाह, संस्था के प्रबन्धतंत्र द्वारा किया जायेगा ।
- यदि सम्बन्धित अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि पायी गयी तो इसके जिम्मेदार प्रबन्धक और सम्बन्धित प्रवक्तागण/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य होंगे ।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बी0एड0 प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रतियां, वेतन, अनुबन्ध पत्र एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



Ref.NO.सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./279/2010

दिनांक : 4/3/2011

प्रापक,

प्रबन्धक(प्रबन्ध समिति)
डा0 राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय,
अलीपुर,
हरदोई ।

विषय:- स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम में प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 18.11.2010 तथा चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2/(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 एवं शासनादेश संख्या- 2104/सत्तर-1-08 दिनांक 12.08.2008 के प्राविधानानुसार माननीय कुलपति जी ने प्रवक्ताओं के नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम में चयन का अनुमोदन निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करने की कृपा की है ।

क्रम	नाम	पिता का नाम	विषय	
1.	डा0 आनन्द कुमार मिश्रा	स्व0 शम्भू नाथ मिश्रा	प्राचार्य, बी0एड0 (ज0ति0-15.5.1949) 65वर्ष की आयु सीमा तक	अनुमोदन
2.	डा0 अनीता शुक्ला	श्री कमलेश चन्द्र शुक्ला	प्रवक्ता (शिक्षाशास्त्र)	अनुमोदन
3.	श्री अवधेश कुमार	श्री कृष्ण	प्रवक्ता (हिन्दी)	अनुमोदन
4.	श्री शशिकान्त पाण्डेय	श्री गोविन्द पाण्डेय	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन
5.	श्री संजीव कुमार सिंह	श्री महेन्द्र कुमार सिंह	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन
6.	श्री सुबोध कुमार	श्री अवधेश कुमार	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन

यदि सम्बन्धित अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि पायी गयी तो इसके जिम्मेदार प्रबन्धक और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ प्रवक्तागण होंगे ।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रतियां, वेतन, अनुबन्ध पत्र एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव